राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस—नोट :—

दिनांक :—22.01.2015

आयोग द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के विद्यमान पाठ्यक्रम के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय आपत्तियां दर्ज की गई है। अतः अभ्यर्थियों के हित में यह सूचित किया जाता है कि :—

1. प्रथम प्रश्न—पत्र के कम्प्यूटर विषय संबंधी प्रश्नों का स्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के सैकण्डरी के पाठ्यक्रम के स्तर के अनुरूप होगा।

2. विद्यमान पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न—पत्र के विषय कम्प्यूटर के मूल सिंद्धात में से Tally से संबंधित अंश हटा दिया गया है।

3. प्रश्न—पत्र द्वितीय में लेखा परीक्षा भाग के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 1956 के कई प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 के द्वारा संशोधित किये जा चुके है। अतः जिन प्रावधानों में संशोधन किया गया है उनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 एवं जिनमें संशोधन नही किया गया है, उनके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 लागू होगा।

संशोधित पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

सचिव